कार्यालय वरिष्ठ

पुलिस

अधीक्षक

वाराणसी कोन

प्रेस नोट

आज दिनांक 15.02.2021 को थाना मण्डुवाडीह पुलिस देखभाल क्षेत्र, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन में थाना क्षेत्र में मौजूद थी कि अचनाक एक व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगा, संदेह होने पर उसे घेरकर भिटारी रोड बौलिया के पास से पकड़ लिया गया। नाम पता पूछने पर पकड़े गये व्यक्ति अपना नाम मदन गुप्ता पुत्र भुन्नू साव निवासी बौलिया लहरतारा थाना क्षेत्र मण्डुवाडीह वाराणसी बताया। तलाशी लेने पर उसके कब्जे से ग्राम नाजायज गांजा बरामद हुआ। 100 किलो 1

उक्त गिरफ्तारी के संबंध में थाना मण्डुवाडीह पुलिस द्वारा मु59 0सं0अ0/ 2021अन्तर्गत धारा 8/ 20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

*गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

- मदन गुप्ता पुत्र भुन्नू साव निवासी बौलिया लहरतारा थाना मण्डुवाडीह वाराणसी उम्र 35 वर्ष।
 आपराधिक इतिहास-*
 - ➤ मु0अ0सं0 442/2008 धारा 401 आईपीसी थाना मण्डुवाडीह वाराणसी।
 - ➤ मु0अ0सं0 59/2021 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना मण्डुवाडीह वाराणसी।

बरामदगी का विवरण-

1 किलो 100 ग्राम नाजायज गांजा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

प्रभारी निरीक्षक परशुराम त्रिपाठी, उ0िन0 अमित कुशवाहा चौकी प्रभारी लहरतारा, हे0का0
 शत्रुधन सिंह, का0 सोनू भारती थाना मण्डुवाडीह वाराणसी।



कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी _{फोन}

+ 91-542-2502655/2502644, फैक्स-91-542-2501450, ईमेल-sspvns-up@nic.in, Facebook-policevaranasi संख्याः पीआरओ 83/2021 दिनांक: फरवरी, 15/2021

प्रेस नोट

दिनांक 14.02.2021 को थाना जैतपुरा पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 32/21 धारा 363,366 आईपीसी व 16/17 पाक्सो एक्ट से संबंधित अभियुक्त अरुण कुमार पुत्र राम समुझ राम को समय लगभग 20:30 बजे अलईपुरा सिटी स्टेशन से गिरफ्तार कर अपहृता को सकुशल बरामद किया गया।

उक्त गिरफ्तारी के संबंध मे थाना जैतपुरा पुलिस द्वारा अग्रिम आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. अरुण कुमार पुत्र राम समुझ राम निवासी ग्राम किसुनीपुर थाना तहबरपुर,तहसील निजामाबाद पोस्ट खिलया सेमरी जनपद आजमगढ़ उम्र 27 वर्ष।

बरामदगी- एक अपहता।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1- उ0िन0 मो0 अकरम चौकी प्रभारी सरैया, उ0िन0 दयाशंकर यादव, का0 अखिलेश यादव,का0 सुनील कुमार यादव,महिला का0 शीला सिंह थाना जैतपुरा वाराणसी।



कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फैक्स-91-542-2501450, ईमेल-sspvns-up@nic.in, Facebook-policevaranasi संख्या:पीआरओ 84/2021 दिनांक: फरवरी, 15/2021

प्रेस नोट

दिनांक14. 02.2021 को थाना चौबेपुर पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0-612/-धारा 2020363/366 भा 0वि0द0से सम्बन्धित अभियुक्तगण शिव पूजन राजभर पुत्र चम्मन राजभर व बबलू राजभर पुत्र छंन्नू राजभर को सन्दहां बालू मण्डी के सामने रिंग रोड से समय करीब 17.15 बजे गिरफ्तार किया गया।

उक्त गिरफ्तारी के संबंध में थाना चौबेपुर पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

- 1. शिव पूजन राजभर पुत्र चम्मन राजभर निवासी ग्राम रुस्तमपुर थाना चौबेपुर वाराणसी उम्र करीब वर्ष 34।
- 2. बबलू राजभर पुत्र छंन्नू राजभर निवासी ग्राम बहोरमपुर थाना रोहनिया वाराणसी हालपता ग्राम रुस्तमपुर थाना चौबेपुर वाराणसी उम्र करीब वर्ष 35।

<u>*अपराधिक इतिहास अभियुक्त- *</u>

1. मु0सं 0अ0-612/-धारा 2020363/366 भा 0वि0द0थाना चौबेपुर वाराणसी।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

उ0िन 0अतुल कुमार मिश्रा चौकी प्रभारी चिरईगांव, हेसत्यदीन यादव थाना चौबेपुर 0का0 वाराणसी।



कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी फ़ो

+ 91-542-2502655/2502644, फैक्स-91-542-2501450, <u>ईमेल-sspvns-up@nic.in</u>, Facebook-policevaranasi संख्याः पीआरओ 85/2021 दिनांक: फरवरी, 15/2021

प्रेस नोट

आज दिनांक 15-02-2021 को थाना रामनगर पुलिस पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र के दौरान मुखबिर की सूचना पर थाना रामनगर में पंजीकृत मु42 0सं0अ0/386 धारा 21/504/भा 5060द0वि0 के वांछित अभियुक्त रामविलास यादव पुत्र मुन्नू यादव निवासी सिहाबीर गोलाघाट थाना रामनगर वाराणसी को समय लगभग 09.40 बजे भीटी अन्डरपास पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया।

उक्त गिरफ्तारी के संबंध में थाना रामनगर पुलिस द्वारा अग्रिम आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. रामविलास यादव पुत्र मुन्नू यादव निवासी सिहाबीर गोलाघाट थाना रामनगर वाराणसी उम्र करीब वर् 38ष।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

• उ0िन0 ईश चन्द यादव, हे0का0 अयोध्या प्रसाद, का0अमित कुमार थाना रामनगर, वाराणसी।



कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी फ़ोन् + 91-542-2502655/2502644, फैक्स-91-542-2501450, <u>ईमेल-sspvns-up@nic.in</u>, Facebook-policevaranasi संख्या:पीआरओ 86/2021 दिनांक: फरवरी, 15/2021

प्रेस नोट

आज दिनांक 15.02.2021 को थाना कैण्ट में पंजीकृत मु0अ0सं0-165/15 धारा-147,323,504,506,354,294 भादिव व 3(1)(XI),3(1)(X) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्तगण सोनू, टोनू, मोनू, बेलाल पुत्रगण सुल्तान खाँ व अकरम पुत्र लतीफ खाँ समस्त निवासीगण पक्की बाजार कचहरी चमरौटिया महल थाना कैण्ट जनपद वाराणसी को मानिटिरंग सेल की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप माननीय न्यायालय एस.सी/एस.टी. एक्ट जनपद वाराणसी द्वारा टोनू, मोनू, बेलाल व अकरम को धारा-147,323,504,506,354,294 भादिव व 3(1)(X) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट में दोषसिद्ध करते हुए 02 वर्ष के कारावास व रू0-4,000/- अर्थदण्ड से दिण्डत किया गया है। अभियुक्त सोनू पुत्र सुल्तान खाँ को धारा 3(1)(XI) एस.सी/एस.टी. एक्ट सिहत उपरोक्त धाराओं में 02 वर्ष के कारावास रु0-6000/- अर्थदण्ड से दिण्डत किया गया।